



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाईट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 8201 SEIAA/2022

Date: 22/6/22

प्रति,

श्रीमती प्रेम देवी योगी पत्नि स्व. श्री दयाराम योगी,
निवासी बानपुर दरवाजा, शंकर जी के मंदिर के सामने,
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषय: प्रकरण क्रमांक 9052/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती प्रेम देवी योगी पत्नि स्व. श्री दयाराम योगी, निवासी बानपुर दरवाजा, शंकर जी के मंदिर के सामने, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 29/5/3, रकबा 1.70 हेक्टेयर, ग्राम केशरमढ़, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 731वीं बैठक दिनांक 08.06.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) टीकमगढ़ द्वारा पत्र क्र. 3521 दिनांक 30.05.2022 के माध्यम से प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

उक्त प्रकरण में मानसून के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार खनन क्षेत्र में मौजूद 15 वृक्षों में से काटे जाने वाले 07 वृक्षों के एवज में 70 पौधों का रोपण किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर मय फोटोग्राफ अक्षांश देशांश सहित 15 दिवस में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में आपको सूचित किया जाता है कि कृपया 15 दिवस में उक्त जानकारी SEIAA कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

o/c

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी